6/8/25

दिनांक 19/8/25

पत्रावली पेशी में ली गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 3.1.2024 प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा Not Press किया गया। उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली वास्ते अंतिम निर्णय दिनांक 20/8/25 को पेश हो।

20/8/25 पत्रावली पेशी में ली गई। प्रार्थनापत्र अस्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है। आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

1 श्री सुरेन्द्र सिहाग - अधिवक्ता प्रार्थी
2 श्री मनोज अरोड़ा - अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 ता 3

-:निर्णय:-

दिनांक :- 20.08.2025

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र **जरिये विज्ञ अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिहाग** अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, इस आशय का पेश किया व याचित किया कि मुझ प्रार्थी के दादा अप्रार्थी संख्या 01 श्री मनीराम के नाम से अन्य भूमि के अलावा चक 20 एच.एम.एच. खाता नं. 215/166 की 4.174 हैक्टयर भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। प्रार्थी के दादा मनीराम के पिता श्री बस्ती राम पुत्र श्री लिखमा राम के नाम चक 18 एस.एस.डबलू की 3.111 हैक्टयर पैतृक कृषि भूमि थी। उक्त पैतृक कृषि भूमि को प्रार्थी के दादा मनीराम ने सरस्वती देवी पत्नी श्री ईशर राम को जरिये रजि. बैयनामा दिनांक 22-09-1990 को बैय कर उक्त धनराशि से चक 20 एच.एम.एच. खाता नं. 215/166 की 4.933 हैक्टयर कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 01 ने खुद के नाम से जरिये रजिस्ट्रड बैयनामा दिनांक 30-09-1990 को खरीद की थी। इस प्रकार उपरोक्त भूमि प्रार्थी व प्रार्थी के पिता जगदीश की पैतृक कृषि भूमि हैं। नकल जमाबंदी चक 20 एच.एम.एच. खाता नं. 215/166 सम्वत 2074 से 2077 व चक 18 एस.एस.डबलू, खाता संख्या 60/52 सम्वत 2057 से 2060 व इसी चक 18 एस.एस.डबलू, का इन्तकाल संख्या 82 दिनांक 21.07.1990 व इन्तकाल संख्या 84 दिनांक 23.10.1990 व चक 20 एच.एम.एच का इन्तकाल संख्या 112 दिनांक 15.11.1990 संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अपार्थी संख्या 01 श्री मनीराम प्रार्थी का दादा है। अप्रार्थी संख्या 01 को प्रार्थना पत्र की दफा 3 मे वर्णित कृषि भूमि उनके पिता बस्ती राम पुत्र श्री लिखमा राम से प्राप्त हुई। प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है। अप्रार्थी संख्या 01 के नाम दर्ज चक 18 एस.एस.डबलू में वर्णित कृषि भूमि 3.111 हैक्टयर की पैतृक कृषि भूमि को सरस्वती देवी पत्नी श्री ईशर राम को जरिये रजि. बैयनामा दिनांक 22-09-1990

को बैय कर उक्त धनराशि से चक 20 एच.एम.एच. खाता नं. 215/166 की 4.933 हैक्टयर कृर्षि भूमि अप्रार्थी संख्या 01 मनीराम ने खुद के नाम से जरिये रजिस्ट्रड बैयनामा दिनांक 30-09-1990 को खरीद की थी।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृर्षि भूमि पैतृक कृर्षि भूमि हैं जो चक 18 एस.एस.डबलू की पैतृक कृर्षि भूमि विकय कर खरीद की गई हैं जो अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा अप्रार्थी संख्या 01 के नाम ही इस कृर्षि भूमि का बैयनामा करवाया गया था। प्रार्थना पत्र की दफा 3 व 4 में वर्णित कृर्षि भूमि में प्रार्थी का जन्म से हक व अधिकार व हिस्सा हैं। अप्रार्थी संख्या 01 राजस्व रिकार्ड में अपने नाम कृर्षि भूमि दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित प्रश्नगत कृर्षि भूमि को विक्रय करने पर उतारू है। अप्रार्थी संख्या 01 प्रतिवादी संख्या 03 ता 05 के साथ रहता है तथा अप्रार्थी संख्या 01 प्रतिवादी संख्या 03 ता 05 के दबाव व बहकावे में हैं यदि अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृर्षि भूमि को विक्रय करने में कामयाब हो गया तो प्रार्थी अपने हक व हिस्सा से महरूम रह जायेगा और प्रार्थी के कानूनी अधिकारों का हनन होगा। अप्रार्थी संख्या 01 पूर्व में चक 20 एच.एम.एच की 4.933 हैक्टयर में से 0. 759 हैक्टयर भूमि रविकुमार पुत्र ओम प्रकाश को बैय भी कर चुका है। अप्रार्थी संख्या 01 को प्रार्थना पत्र की धारा 3 में वर्णित पैतृक कृर्षि भूमि को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है। फिर भी अप्रार्थी संख्या 01 पैतृक कृर्षि भूमि को विक्रय करने पर उतारू हैं। ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 01 के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी व दावेदार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में दर्ज अप्रार्थी संख्या 01 के नाम दर्ज कृर्षि भूमि में अपने पिता जगदीश के 1/5 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा कानूनन बनता हैं जो प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थना पत्र की दफा 3 में दर्ज भूमि विरास्तन व पैतृक भूमि हैं इस भूमि में प्रार्थी का जन्म से ही अधिकार निहित हैं। इस अनुसार प्रार्थी घोषणा अपने नाम से करवाने का अधिकारी व दावेदार हैं।

यह कि प्रार्थी द्वारा गत सप्ताह अप्रार्थी संख्या 01 से राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज कृर्षि भूमि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृर्षि भूमि को मेरे पिता जगदीश के 1/5 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा बनता मानकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करा देवें। इस आराजी को अन्य किसी को बेचान या खुर्द बुर्द नहीं करें। तब अप्रार्थी संख्या 01 ने स्पष्ट इनकार कर दिया और भूमि को अन्यत्र रहन बैय व मुन्तकिल करने की धमकी दी। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन व अपरिमेय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ता-फैसला प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थी इस आशय की फरमायी जावें कि अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित चक 20 एच.एम.एच की 4.933 हैक्टयर में से प्रार्थी के पिता जगदीश के 1/5 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा जो प्रार्थी का बनता है को किसी प्रकार से रहन, मुन्तकिल व खुर्द बुर्द करने से निषेद्ध रहें तथा अप्रार्थी संख्या 03 को भूमि का बैयनामा व अन्य कागजात तस्दीक करने से व अप्रार्थी संख्या 02 को रहन करने से निषेध फरमाया जावें।

≈ प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई अप्रार्थी सं. 1 की ओर से **अधिवक्ता मनोज अरोड़ा** ने वकालतनामा व अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया व बाद में वकील अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र नोट प्रेस किया गया।

हमने बहस उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी। पत्रावली में मौजूद प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, पंजीबद्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया।
हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए, विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक व सारभूत समझते है:-

प्रथम दृष्ट्या मामला

प्रथम दृष्ट्या मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्ट्या आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना व जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी सं. 1 अभिलिखित खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अभिलिखत अप्रार्थी के हिस्से की भूमि पर एकपक्षीय स्थगनादेश प्राप्त किया है। प्रार्थी का दावा अन्तर्गत 88, 53 आरटीए में घोषणा व विभाजन का वाद इस न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी के हक व हिस्से का निर्धारण किया जाना है। अप्रार्थी अभिलिखित काश्तकार है तथा अभिलिखित काश्तकार की हैसियत अपने हिस्से की आराजी का उपयोग व उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है। प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश जारी नहीं किया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षीगण को।

प्रार्थना पत्र और जवाब प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी अभिलिखित काश्तकार है एवं उक्त दस्तावेजात से अप्रार्थी अभिलिखित काश्तकार होने के कारण सुविधा का संतुलन अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित खातेदार के खिलाफ यदि स्थगन आदेश जारी किया जाता है तो अप्रार्थी खातेदारी अधिकारों का उपयोग व उपभोग से वंचित हो सकते है। न्यायालय के अभिमत में अप्रार्थी सं. 1 को असुविधा हो सकती है।

अपूर्णनीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी शतात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में भरपाई नहीं की जा सकती हो।

चूँकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी का दावा बाबत घोषणा व विभाजन विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का संतुलन अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है अतः न्यायालय के हस्तक्षेप न करने के परिणामस्वरूप अनुतोष ईप्सित करने वाले अप्रार्थी को अधिकतम हो सकती है।

अतएवं उक्त बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में इस न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति साबित नहीं होने के कारण मूल वाद का निपटारा होने तक अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाना बिधि संगत एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

8

-:क्रिन्याविति आदेशः-

अतः उपर्युक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश अस्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा स्थगन दिनांक 22.06.2022 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2025 को सरे इजलास सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ